संख्या-63/2026/912-001-5-9002-002-5-2022

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में SNA स्पर्श व्यवस्था के अन्तर्गत Kind Grant & Infrastructure Maintenance (UP-347) योजना के अनुदान संख्या-81 राजस्व के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि कुल रू0 29.74 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनु0 81/एन0एच0एम0/2026-27/141, दिनांक 13.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में SNA स्पर्श व्यवस्था के अंतर्गत Kind Grant & Infrastructure Maintenance (UP-347) योजना के अनुदान संख्या 81 राज्यांश को 2211-परिवार कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0104-Kind & Infrastructure Maintenance Grant के अन्तर्गत, मानक मद-42 अन्य व्यय के अनतर्गत अभुगतानित धनराशि रू0 29.74 लाख (रूपये उनतीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) राज्यांश को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के राजस्व लेखान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/भुगतान इसके पूर्व नहीं किया गया है। अर्थात प्रकरण में प्रश्नगत धनराशि के भुगतान की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

(6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(7) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(8) प्रश्नगत प्रकरण में अभुगतानित कुल धनराशि रू0 29.74 लाख के भुगतान ना हो पाने की सत्यता तथा आकड़ों के आंकलन की शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(9) केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधो का अनुपालन किये जाने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 29,74,000 (रुपये उनतीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 081 लेखा शीर्षक 2211007960104 काईण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स ग्रान्ट (के.60/रा.40-रा.) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-20/दस-2026-27, दिनांक 27 मई, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-63/2026/912(1)/001-5-9002-002-5-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
4- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- वित्त (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9- कम्प्यूटर सेल/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।